रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 193] नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 18, 2006/श्रावण 27, 1928
No. 193] NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 18, 2006/SRAVANA 27, 1928

विद्युत मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 2006

वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत अधिप्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशानिर्देशों में संशोधन

सं. 23/11/2004-आर एण्ड आर (खण्ड-V).— वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए बोली प्रक्रिया द्वारा टैरिफ के निर्धारण हेतु दिशानिर्देश विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 63 के उपबंधों के अधीन दिनांक 19 जनवरी, 2005 को भारत के राजपत्र (असाधारण) (भाग-I खण्ड-1) के प्रकाशित संकल्प सं. 23/11/2004-आरएण्डआर (खण्ड-II) द्वारा अधिसूचित किए गए हैं। ये दिशानिर्देश दिनांक 30 मार्च, 2006 के राजपत्र संकल्प सं. 23/11/2004-आरएण्डआर (खण्ड-IV) द्वारा संशोधित किए गए थे।

उक्त दिशानिर्देशों में एतद्द्वारा निम्नलिखित और संशोधन किए जाते हैं नामतः :

खण्ड 2.4 की प्रथम पंक्ति को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

संयुक्त बोली प्रक्रिया के माध्यम से एक से अधिक वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा अधिप्राप्ति की अनुमति होगी और ऐसे मामले में अधिप्राप्तिकर्ता को किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से बोली प्रक्रिया संचालित करने का विकल्प होगा।

खण्ड 2.4 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है :

संयुक्त अधिप्राप्ति के मामले में जहां वितरण लाइसेंसधारी एक से अधिक राज्य में अवस्थित हैं, वहां पैरा 3.1(iii)(क) के प्रयोजनार्थ छोड़कर इन बोली देने के दिशानिर्देशों के प्रयोजनार्थ उपयुक्त आयोग केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग होगा। पैरा 3.1(iii)(क) के प्रयोजनार्थ राज्य विद्युत विनियामक आयोग उपयुक्त आयोग होगा।

खण्ड 4.1 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है :

मामला-2 के अधीन अधिप्राप्ति जहां अधिप्राप्तिकर्ता समवर्ती विकास और अधिप्राप्ति प्रश्न के अधीन शामिल विद्युत उत्पादन के प्रयोग के लिए कैप्टिव ईंधन स्रोत (जैसे-कैप्टिव कोयला खान) का प्रस्ताव करता है वहां पृथक क्षमता और टैरिफ के ऊर्जा संघटक की विशेषता वाली बहु-भाग टैरिफ संरचना भी होगी।

खण्ड 4.3 के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है :

बशर्ते कि ऊर्जा प्रभारों के भुगतान [पैरा 4.11(iii) में निर्दिष्ट तरीके से] में विदेशी मुद्रा दर के घट-बढ़ की अनुमति दी जाएगी अगर अधिप्राप्तिकर्ता मामला-2 में तटीय विद्युत स्टेशन के लिए आयातित ईंधन का प्रयोग अधिदेशित करता है।

खण्ड 4.4 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

क्षमता प्रभार का भुगतान रुपए/कि.वा.घं. में उद्धरित प्रभारों के अनुसार कि.वा.घं. में वास्तविक उपलब्धता के आधार पर किया जाएगा और यह मानकीय उपलब्धता (अथवा जल विद्युत स्टेशनों के लिए मानकीय क्षमता सूचकांक) तक सीमित होगा। मानकीय उपलब्धता बोली प्रक्रिया के समय लागू केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) के टैरिफ विनियमों में निर्धारित स्तर का 5 प्रतिशत अधिक होगा और इसका परिकलन वार्षिक आधार पर किया जाएगा। टैरिफों के क्षमता संघटक अलग-अलग गैर वृद्धि योग्य (स्थिर) और वृद्धि योग्य (सूचकांकित) हो सकते हैं। वृद्धि योग्य संघटक में वृद्धि हेतु अपनाए जाने वाले सूचकांक केवल थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) अथवा डब्ल्यूपीआई और सीपीआई दोनों का संयोजन होंगे और बोली दस्तावेजों में आधार वर्ष निर्दिष्ट होगा।

खण्ड 4.5 की पहली पंक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है :

मानकीय उपलब्धता के बाद उपलब्धता हेतु क्षमता प्रभार क्षमता प्रभार के गैर वृद्धि योग्य संघटक की पूर्व निर्दिष्ट प्रतिशतता होगी।

खण्ड 4.5 की अंतिम पंक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रस्थापित की जाती है :

उपलब्धता पूर्व निर्धारित स्तर (जो आरएफपी में अभिज्ञात किया जाता है और मानकीय उपलब्धता से लगभग 5 प्रतिशत कम हो सकता है) से कम है तो ऐसे पूर्व निर्धारित स्तर से नीचे उपलब्धता में कमी की सीमा तक क्षमता प्रभार के 20 प्रतिशत की दर से दण्ड भी लागू होगा।

खण्ड 4.7 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है :

उस तारीख, जो आरएफपी बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख के 7 दिन पूर्व है, को लागू कानून के संबंध में प्राप्तकर्त्ता को विद्युत बेचने के व्यवसाय से उत्पन्न लागत अथवा राजस्व को प्रभावित करने वाले कानून में किसी परिवर्तन को अलग से समायोजित किया जाएगा। कानून में किसी परिवर्तन के प्रभाव से संबंधित किसी विवाद के मामले में उपयुक्त आयोग का निर्णय लागू होगा।

खण्ड 4.8 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

बोली मूल्यांकन चरण पर, न्यूनतम और अधिकतम क्षमता प्रभार (मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ प्रयोग किए जा रहे सूचकांक के अनुसार वृद्धि को शामिल करते हुए गैर-वृद्धि संघटक और वृद्धि योग्य संघटक दोनों सहित) का अनुपात विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि में संविदा की अवधि के दौरान अत्यधिक फ्रंटलोडिंग अथवा बैकलोडिंग से बचने के लिए 0.7 से कम नहीं होगा।

खण्ड 4.11 निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

जहां भी लागू हो, संविदा के प्रचालन के दौरान देय ऊर्जा प्रभार वृद्धि के लिए उपयुक्त प्रावधान के साथ बोली में निर्दिष्ट आधार ऊर्जा प्रभारों पर संबद्ध होगा। अगर बोलीदाता संविदा अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभार दरें प्रदान करता है तो उसकी टैरिफ में अनुमति दी जाएगी।

(i) उन मामलों, जहां कैप्टिव ईंधन स्रोत का प्रस्ताव किया जाता है, अथवा वैसे मामलों, जहां अधिप्राप्तिकर्ता मामला 2 प्रश्न में आयातित ईंधन का प्रयोग अधिदेशित करता है, को छोड़कर अन्य मामलों में ऊर्जा प्रभार बोली के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त ईंधन वृद्धि सूचकांक के अनुसार देय होगा। निवल उष्मा दर पर आधारित बोलियों के मामले में ईंधन का मूल्य पैरा 4.2 के अधीन यथानिर्दिष्ट माना जाएगा। तथापि, ईंधन वृद्धि सरकार के किसी प्रशासित मूल्य कार्यतंत्र अथवा देश में उत्पादित ईंधन के मामले में स्वतंत्र विनियामक मूल्य नियतन के अधीन होगी। संगत ईंधनों के लिए लागू सूचकांक आरएफपी दस्तावेजों में अभिज्ञात किए जाएंगे।

(ii) ऊर्जा प्रभारों में अधिप्राप्ति प्रश्न, जहां अधिप्राप्तिकर्ता समवर्ती विकास और विद्युत के उत्पादन के लिए कैप्टिव ईंधन स्रोत (जैसे कैप्टिव कोयला खान) का प्रस्ताव करता है, के मामले में पृथक गैर वृद्धि योग्य (नियत) और वृद्धि योग्य (सूचकांकित) संघटक हो सकते हैं। विद्युत क्रय करार (पीपीए) की अवधि में न्यूनतम और अधिकतम ऊर्जा प्रभारों (मूल्यांकन के लिए प्रयोग किए जा रहे सूचकांक के अनुसार वृद्धि को शामिल करते हुए गैर वृद्धि योग्य संघटक और वृद्धि योग्य संघटक दोनों सहित) का अनुपात अत्यधिक फ्रंटलोडिंग अथवा बैकलोडिंग से बचने के लिए 0.5 से कम नहीं होगा।

(iii) मामला-2 अधिप्राप्ति प्रश्न में उन मामलों, जहां अधिप्राप्तिकर्ता तटीय विद्युत स्टेशन में प्रयोग के लिए आयातित ईंधन का प्रयोग अधिदेशित करना है, में आरएफपी में अभिज्ञात सूचकांकों के अनुसार वृद्धि किए जाने वाले पहले वर्ष के लिए आधार ऊर्जा प्रभार हेतु बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं। ऐसे ऊर्जा प्रभार में निम्नलिखित तीन संघटक होंगे :

(क) अमरीकी डालर/यूनिट में आयातित ईंधन संघटक

(ख) अमरीकी डालर/यूनिट में ईंधन की ढुलाई संघटक

(ग) भारतीय रुपए/यूनिट में अंतर्देशीय ईंधन प्रहस्तन संघटक

इन प्रत्येक संघटकों में पृथक गैर-वृद्धि योग्य (नियत) और वृद्धि योग्य (सूचकांकित) उप-संघटक हो सकते हैं। इन तीन संघटकों के वृद्धि योग्य उप-संघटकों के लिए वृद्धि सूचकांक पैरा 5.6(vi) के अधीन केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा अधिसूचित होंगे।

यह स्पष्ट किया जाता है कि बोलीदाताओं को संविदा के प्रत्येक वर्षों के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभार दरें बताने का विकल्प होगा।

खण्ड 5.4 के उप-खण्ड (i) की पांचवी बुलेट मद निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है :

अगर अधिप्राप्ति प्रश्न के लिए संगत हो तो पीक और ऑफ-पीक घंटों की परिभाषा।

खण्ड 5.4 के उप-खण्ड (vii) के बाद निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है :

अधिप्राप्तिकर्ता अथवा आपूर्तिकर्ता इस शर्त के अधीन कि नई पार्टी आरएफपी और आरएफक्यू की सभी शर्तें पूरा करती हैं और विद्युत क्रय करार (पीपीए) के सभी दायित्व और उत्तरदायित्व स्वीकार करने का वचन देती है, निर्गम विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

खण्ड 5.5 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

आरएफपी उन सभी बोलीदाताओं, जो आरएफक्यू चरण पर अर्हक हुए हैं, को जारी किया जाएगा। अगर बोलीदाता कोई परिवर्तन चाहता है और अधिप्राप्तिकर्ता यह पाता है परिवर्तन उचित हैं तो अधिप्राप्तिकर्ता परिवर्तन के लिए सहमत होने के पूर्व उपयुक्त आयोग का अनुमोदन प्राप्त करेगा। स्पष्टीकरण/संशोधित बोली दस्तावेज उन सभी, जिन्होंने आरएफपी खरीदा था, को परिवर्तन और स्पष्टीकरण के बारे में सूचित करते हुए वितरित किए जाएंगे और उपयुक्त आयोग को भी सूचना भेजी जाएगी। अंतिम विद्युत क्रय करार (पीपीए) भी अधिप्राप्तिकर्ता की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी। जहां भी संशोधित बोली दस्तावेज जारी किए जाते हैं वहां अधिप्राप्तिकर्ता ऐसे दस्तावेज जारी करने के बाद बोलीदाताओं को बोली प्रस्तुत करने के लिए कम से कम दो महीने का समय प्रदान करेगा।

खण्ड 5.6 का उप-खण्ड (iv) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

बोलियां बोलीदाता द्वारा बताए गए टैरिफ के क्षमता और ऊर्जा संघटकों को संयोजित करते हुए मिश्रित स्तरीकृत टैरिफ के लिए मूल्यांकित की जाएंगी। आधार लोड, पीक लोड और मौसमी विद्युत की अधिप्राप्ति के लिए वर्गीकृत पूछताछ के मामले में प्रत्येक किस्म की आवश्यकता के लिए बोली मूल्यांकन अगल से किया जाएगा। टैरिफ के क्षमता संघटक में गैर-वृद्धियोग्य (नियत) और वृद्धियोग्य (सूचकांकित) संघटक हो सकते हैं। वृद्धियोग्य संघटक की वृद्धि के लिए अपनाया जाने वाला सूचकांक आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाएगा।

कैप्टिव ईंधन स्रोत के प्रस्ताव के अतिरिक्त मामले में बोली मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ, बोलीदाता द्वारा बताए गए ऊर्जा प्रभार (अथवा पैरा 4.2 में उल्लिखित मामलों में प्राप्त ऊर्जा प्रभार) की वृद्धि के लिए कोयले के लिए पिछले 30 वर्षों और गैर-एलएनजी के लिए 15 वर्षों [नीचे (vi) में कें.वि.वि.आ. की अधिसूचना के अनुसार] अंतर्राष्ट्रीय बाजार अथवा घरेलू बाजार में संगत ईंधन सूचकांक (आरएफपी में यथा अभिज्ञात) की मध्यमान वृद्धि दर का प्रयोग किया जाएगा। अगर 30/15 वर्षों का आंकड़ा उपलब्ध नही है तो उसे उपलब्ध वर्षों की अधिकतम संख्या के लिए माना जाएगा। पैरा 4.11(iii) के उपबंध उन मामलों, जहां अधिप्राप्तिकर्ता तटीय विद्युत स्टेशन के लिए आयातित ईंधन का प्रयोग अधिदेशित करता है, में बोलियों के मूल्यांकन पर भी लागू होंगे। तथापि, उन मामलों, जहां बोलीदाता प्रस्तावित आपूर्ति के प्रत्येक वर्षों के लिए निश्चित ऊर्जा प्रभार बताता है, में बोलीदाता द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा प्रभार बोली मूल्यांकन के लिए अपनाए जाएंगे।

जहां अधिप्राप्तिकर्ता विद्युत के समवर्ती विकास और उत्पादन के लिए कैप्टिव ईंधन स्रोत (जैसे कैप्टिव कोयला खान) का प्रस्ताव करता है वहां पैरा 4.11(vi) के उपबंध लागू होंगे।

स्तरीकृत टैरिफ का संगणन करने के लिए नियत और परिवर्ती प्रभारों के संयोजन में कटौती के लिए दर 10 वर्षीय भारत सरकार की प्रतिभूतियों के विद्यमान दर को देखते हुए केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग द्वारा यथा अधिसूचित दर होगी। इस दर को आरएफपी में निर्दिष्ट किया जाना है।

खण्ड 5.6 का उप-खण्ड (vi) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

निम्नलिखित को कें.वि.वि.आ. द्वारा प्रत्येक छः महीने में अधिसूचित और अद्यतन किया जाएगा :

1. घरेलू कोयले के लिए वृद्धि दर (मूल्यांकन और भुगतान के लिए अलग-अलग)।
2. घरेलू गैस के लिए वृद्धि दर (मूल्यांकन और भुगतान के लिए अलग-अलग)।
3. आयातित कोयले पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धियोग्य उप-संघटकों के लिए वृद्धि दर (मूल्यांकन और भुगतान के लिए अलग-अलग)।
4. आयातित गैस पर आधारित संयंत्रों के लिए ऊर्जा प्रभार के विभिन्न वृद्धियोग्य उप-संघटकों के लिए वृद्धि दर (मूल्यांकन और भुगतान के लिए अलग-अलग)।

5. सूचकांकित क्षमता प्रभार संघटक पर लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति की दर ।

6. कैप्टिव ईंधन स्रोत के मामले में सूचकांकित ऊर्जा प्रभार संघटक पर लागू की जाने वाली मुद्रास्फीति दर।

7. बोली मूल्यांकन के लिए प्रयोग की जाने वाली कटौती दर।

8. डालर-रुपया विनिमय दर घट-बढ़ (मूल्यांकन के प्रयोजनार्थ)।

खण्ड 5.14 की प्रथम पंक्ति निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है :

मामला । के अधीन अधिप्राप्ति प्रश्न के मामले में बोलीदाता उत्पादक स्टेशन बस-बार (सहायक सुविधाएं छोड़कर) पर अथवा राज्य पारेषण नेटवर्क के अन्तरापृष्ठ बिंदु पर विद्युत का मूल्य बता सकता है।

खण्ड 5.17 को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है :

जहां किसी परिवर्तन का दावा करने अथवा टैरिफ के निर्धारण अथवा टैरिफ संबद्ध मामले से विवाद उत्पन्न होता है अथवा जिससे आंशिक रूप या पूर्ण रूप से टैरिफ में परिवर्तन हो सकता है, वहां ऐसे विवाद का उपयुक्त आयोग द्वारा अधिनिर्णयन किया जाएगा ।

अन्य सभी विवादों का समाधान भारतीय विवाचन और समंजन अधिनियम, 1996 के अधीन विवाचन द्वारा किया जाएगा ।

अजय शंकर, अपर सचिव

MINISTRY OF POWER

RESOLUTION

New Delhi, the 18th August, 2006

Amendment to the Guidelines for Determination of Tariff by Bidding Process for Procurement of Power by Distribution Licensees

No. 23/11/2004-R&R (Vol.V).—The guidelines for determination of tariff by bidding process for procurement of power by Distribution Licensees have been notified under the provisions of Section 63 of the Electricity Act, 2003 *vide* Resolution No. 23/11/2004-R&R (Vol. II) published in the Gazette of India (Extraordinary) (Part I - Section 1) on 19th January, 2005. These guidelines were amended *vide* Gazette Resolution No. 23/11/2004-R&R (Vol. IV) dated 30th March, 2006.

The following further amendments are hereby made in the said guidelines namely:—

The first sentence of clause 2.4 is replaced by the following :

Procurement by more than one distribution licensee through a combined bid process shall be permitted and in such a case the Procurers shall have the option to conduct the bid process through an authorized representative.

The following para is added to clause 2.4 :

In case of combined procurement where the distribution licensees are located in more than one State, the Appropriate Commission for the purpose of these bidding guidelines, except for the purpose of para 3.1(iii)(a), shall be the Central Electricity Regulatory Commission. For the purpose of para 3.1(iii)(a), the State Electricity Regulatory Commission shall be the Appropriate Commission.

The following para is added to clause 4.1:

Procurement under case-2 where procurer offers a captive fuel source (such as captive coal mine) for concurrent development and use for power production covered under the procurement querry would also have a multi-part tariff structure featuring separate capacity and energy components of tariff.

The following para is added to clause 4.3 :

Provided that the foreign exchange rate variation would be permitted in the payment of energy charges [in the manner stipulated in para 4.11(iii)] if the procurer mandates use of imported fuel for coastal power station in case- 2.

Clause 4.4 is replaced by the following :

Capacity charge shall be paid based on actual availability in kwh, as per charges quoted in Rs/kwh and shall be limited to the normative availability (or normative capacity index for hydro electric stations). The normative availability shall be higher by a maximum of 5% of the level specified in the tariff regulations of the Central Electricity Regulatory Commission (CERC) prevailing at the time of the bid process, and shall be computed on annual basis. The capacity component of tariffs may feature separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) components. The indices to be adopted for escalation of

the escalable component shall only be Wholesale Price Index (WPI), Consumer Price Index (CPI) or a combination of both WPI and CPI and the Base year shall be specified in the bid document.

The first sentence of clause 4.5 is replaced by the following:

Capacity charges for availability beyond the normative availability shall be a pre-specified percentage of the non-escalable component of the capacity charges.

The last sentence of clause 4.5 is replaced by the following:

In case availability is lower than a predetermined level (which is identified in the RFP and may be about 5% below normative availability), penalty at the rate of 20% of the capacity charge shall also be applicable to the extent of the shortfall in availability below such predetermined level.

Clause 4.7 is replaced by the following:

Any change in law impacting cost or revenue from the business of selling electricity to the procurer with respect to the law applicable on the date which is 7 days before the last date for RFP bid submission shall be adjusted separately. In case of any dispute regarding the impact of any change in law, the decision of the Appropriate Commission shall apply.

Clause 4.8 is replaced by the following:

At the bid evaluation stage, ratio of minimum and maximum capacity charge (including both the non-escalable component and the escalable component incorporating escalation as per index being used for the purpose of evaluation) over the term of the Power Purchase Agreement (PPA) shall not be less than 0.7 to avoid excessive front loading or back loading during the period of contract.

Clause 4.11 is replaced by the following:

Where applicable, the energy charges payable during the operation of the contract shall be related on the base energy charges specified in the bid with suitable provision for escalation. In case the bidder provides firm energy charge rates for each of the years of the contract term, the same shall be permitted in the tariffs.

(i) In cases other than the cases where captive fuel source is offered or cases where the procurer mandates use of imported fuels in case 2 queries, the energy charges shall be payable in accordance with fuel escalation index used for evaluation of the bid. In case of bids based on net heat rate, the price of fuel shall be taken as stipulated under para 4.2. However, the fuel escalation will be subject to any administered price mechanism of Government or independent regulatory price fixation in case of fuel produced within the country. The applicable indices for relevant fuels shall be identified in the RFP documents.

(ii) The energy charges may feature separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) components in case of a procurement query where the procurer offers a captive fuel source (such as a captive coal mine) for concurrent development and production of power. The ratio of minimum and maximum energy charges (including both the non-escalable component and escalable component incorporating escalation as per index being used for evaluation) over the term of PPA shall not be less than 0.5 to avoid excessive frontloading or backloading. The index for escalable component of energy charge in such a case would be as notified by the CERC under para 5.6(vi).

(iii) In cases where the procurer mandates use of imported fuel for use in a coastal power station in case-2 procurement query, the bids may be invited for base energy charge for the first year to be escalated as per the indices identified in the RFP. Such energy charge would have following three components:

(a) Imported fuel component in US Dollars/unit

(b) Transportation of fuel component in US Dollars/unit

(c) Inland fuel handling component in Indian Rupees/unit

Each of these components may have separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) sub-components. The escalation indices for escalable sub-components of these three components would be as notified by the CERC under para 5.6(vi).

It is clarified that the bidders would have option to quote firm energy charge rates for each of the years of the contract.

The fifth bullet point of sub-clause (i) of clause 5.4 is replaced by the following:

Definition of peak and off-peak hours, if relevant for the procurement query .

Sub-clause (vii) of clause 5.4 is replaced by the following:

The procurer or the supplier may exercise exit option subject to the condition that the new party satisfies all RFQ and RFP conditions and also undertakes to accept all the obligations and responsibilities of the PPA.

2532 GI/06-2

Clause 5.5 is replaced by the following :

RFP shall be issued to all bidders who have qualified at the RFQ stage. In case the bidders seek any deviations and procurer finds that deviations are reasonable, the procurer shall obtain approval of the Appropriate Commission before agreeing to deviation. The clarification/revised-bidding document shall be distributed to all who had bought the RFP document informing about the deviations and clarifications and an intimation shall also be sent to the Appropriate Commission. Final PPA shall also be displayed on the website of the procurer. Wherever revised bidding documents are issued, the procurer shall provide bidders at least two months after issue of such documents for submission of bids.

Sub-clause (iv) of clause 5.6 is replaced by the following :

The bids shall be evaluated for the composite levellised tariffs combining the capacity and energy components of the tariff quoted by the bidder. In case of assorted enquiry for procurement of base load, peak load and seasonal power, the bid evaluation for each type of requirement shall be carried out separately. The capacity component of tariffs may feature separate non-escalable (fixed) and escalable (indexed) components. The index to be adopted for escalation of the escalable component shall be specified in the RFP.

For the purpose of bid evaluation in cases other than where a captive fuel source is offered, median escalation rate of the relevant fuel index (as identified in the RFP) in the international market or domestic market for the last 30 years for coal and 15 years for gas / LNG (as per CERC's notification in (vi) below) shall be used for escalating the energy charge (or the derived energy charge in cases referred to in para 4.2) quoted by the bidder. If data of 30/15 years are not available, the same shall be taken for maximum number of available years. The provisions of para 4.11 (iii) would also apply to evaluation of bids in cases where procurer mandates use of imported fuel for coastal power stations. However, in cases where the bidder quotes firm energy charges for each of the years of proposed supply, the energy charges proposed by the bidder shall be adopted for bid evaluation.

Where the procurer offers a captive fuel source (such as a captive coal mine) for concurrent development and production of power, the provisions of para 4.11(ii) would apply.

The rate for discounting the combination of fixed and variable charges for computing the levellised tariff shall be as notified by CERC keeping in view prevailing rate for 10 year Government of India securities. This rate is to be specified in the RFP.

Sub-clause (vi) of clause 5.6 is replaced by the following :

Following shall be notified and updated by the CERC every six months:

1. Escalation rate for domestic coal. (Separately for evaluation and payment)
2. Escalation rate for domestic gas. (Separately for evaluation and payment)
3. Escalation rates for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported coal. (Separately for evaluation and payment)
4. Escalation rate for different escalable sub-components of energy charge for plants based on imported gas. (Separately for evaluation and payment)
5. Inflation rate to be applied to indexed capacity charge component.
6. Inflation rate to be applied to indexed energy charge component in cases of captive fuel source.
7. Discount rate to be used for bid evaluation.
8. Dollar-Rupee exchange variation rate. (For the purpose of evaluation)

The first sentence of clause 5.14 is replaced by the following :

In case of procurement query under Case 1, the bidder may quote the price of electricity at the generating station bus-bar (net of auxiliaries), or at the interface point with the State transmission network.

Clause 5.17 is replaced by the following :

Where any dispute arises claiming any change in or regarding determination of the tariff or any tariff related matters, or which partly or wholly could result in change in tariff, such dispute shall be adjudicated by the Appropriate Commission.

All other disputes shall be resolved by arbitration under the Indian Arbitration and Conciliation Act, 1996

AJAY SHANKAR, Addl. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.